न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—147 / 13 (2013 / 00178) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—घीसी बेवा गंगाराम कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—चर्तुभुज पिता गंगाराम कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1—मोहनी बेवा लालु कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—बहादुर पिता गंगाराम कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—संतोषदेवी पत्नि बहादुर कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. हरिश टेलर — अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. महेश दाधीच — अधिवक्ता विपक्षीगण
3. फारूख मोहम्मद — अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांकः—12.01.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व विपक्षीगण हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य है। हिन्दु सयुक्त परिवार के मुल पुरुष लालू जी थे जिनके मोहनीबाई बैवा लालु वि.स.1 व गंगाराम गोद पुत्र थे यह दोनो ही उनके प्रथम श्रेणी के वारिस थे तथा गंगाराम जी की मृत्यु हो गई है जिनके हम प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण संख्या 2 बहादुर व एक पुत्र राजु प्रथम श्रेणी के वारिस है किन्तु राजु गंगाराम जी के भाई मांगीलाल जी के कोई औलाद नही होने से उनके गोद चला गया जिससे गंगाराम जी के तीन वारिस चर्तुभुज, बहादुर, एंव घीसी रहे। इस हिन्दु सयुक्त परिवार की पैतृक एंव पुस्तैनी सम्पत्ती ग्राम रायपुर तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी मे साबिक आराजी संख्या 102 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, 104/2 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, 104/1 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा भुमि स्थित होकर इस हिन्दु संयुक्त परिवार के मुल पुरुष लालु पिता नाथु जी कुम्हार के नाम राजस्य रेकार्ड मे तन्हा रूप से दर्ज थी। प्रमाण में नकल जमाबन्दी सम्वत 2037 से 2040 तक [illegible] हिन्दु संयुक्त परिवार के मुल पुरुष लालु जी की मृत्यु हुई उनकी मृत्यु के पश्चात [illegible] की [illegible] का नामान्तरण करण संख्या 1666 दिनांक 12/02/1985 को [illegible] विधवा पत्नि मोहनीबाई के नाम फैसल कर दिया गया जबकि उनके गोद पुत्र गंगाराम जी भी प्रथम श्रेणी के वारिस थे। और [illegible] भी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उनकी विधवा के साथ साथ उनका भी बराबर हक एंव हिस्सा निहित था। फिर भी गंगाराम जी का नाम मृतक लालु की विरासत के उक्त नामान्तरण मे दर्ज नही किया जाकर विधी विरूद्ध तरीके से फैसल कर दिया जो शुरू से ही शुन्य एंव

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.29 13:58:07 IST
Reason: SelfAttested

अकृत है और कानुन की दृष्टी से खारीज किये जाने योग्य है। और भुमियां मोहनीदेवी के नाम पर ही चलती रही किन्तु भुमियों पर मोहनीदेवी व गोद पुत्र गंगाराम जी बराबर बराबर आधे आधे हिस्से पर काबिज होकर कास्त करते चले आ रहे थे जिससे मृतक गंगाराम जी उक्त वर्णित भुमियो के बतौर खातेदार काश्तकार उपयोग उपभोग कर रहे थे। मृतक लालु के कोई औलाद नही थी जिससे उन्होने गंगाराम जी को पुर्ण रस्मोरिवाज से सम्पुर्ण समाज के समक्ष उनके प्राकृतिक पिता जीतु जी जो लालु जी के भाई थे से गोंद लिया पुरी जिन्दगी लालु पुत्रवत उनके साथ रहे। उनकी मृत्यु उपरान्त सामाजिक क्रियाकर्म आदि भी गंगाराम जी ने ही किये उसका हवाला हमारे समाज के राव की पोथी मे अंकित है जिससे ये मृतक लालु जी द्वारा छोड़ी गई सम्पत्तियों में मोहनीदेवी के साथ साथ 1/2 हिस्से के अधिकारी और गंगाराम जी की मृत्यु होने से हम प्रार्थीगण एंव विपक्षीगण संख्या 2 का प्रथम श्रेणी के वारिस है जिससे उक्त वर्णित भुमियो मे उनके स्थान पर 1/2 हिस्से के मालिक हो गये है। उक्त वर्णित आराजियात मे मृतक हम प्रार्थीगण एंव विपक्षीगण संख्या 2 के पुर्वज गंगाराम जी का 1/2 हिस्सा लिखित है उसके अनुसार हम प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 2/6 हिस्सा बनता है जिसके हम उक्त सजरे अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित होने योग्य है। उक्त वर्णित साबिक आराजियात के तहसील व ग्राम रायपुर के नवीन भुप्रबन्ध होने के पश्चात नवीन नम्बर 172, 173, 174, 181, 182, 187, 188, 189, 190 कुल किता 9 कुल रकबा 2.11 है, भुमि कायम किये गये है। विपक्षीगण संख्या 1 मोहनीदेवी के नाम गैर कानुनी तरीके से वादग्रस्त भुमियां दर्ज रह जाने का नाजायज फायदा उठाकर विपक्षी संख्या 2 ने विपक्षी संख्या 1 के साथ मीलकर षडयन्त्र पुर्वक सम्पुर्ण भुमियां विपक्षी संख्या 2 की पत्नि विपक्षी संख्या 3 के पक्ष दिनांक 01/08/2013 को तहसील रायपुर में जाकर एक जुमाईसी दस्तावेज गिप्ट डिड निष्पादित करवा उसको पंजीपद्ध करवा दिया जब कि सम्पूर्ण भूमियों को विपक्षी संख्या । को किसी भी तरीके से हस्तान्तरित करने का कोई अधिकार नही था और विपक्षी संख्या 1 को उक्त वादग्रस्त भुमियां अपने हिस्से से ज्यादा अविभक्त भूमियों को हस्तान्तरित करने का काई अधिकार नही है। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि ताफैसला मुल वाद प्रार्थीगण के पक्ष मे और विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थाई निषैधाज्ञा इस आशय की जारी फरमाई जाये की ग्राम रायपुर तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में स्थित आराजियात संख्या 172, 173, 174, 181, 182, 187, 188, 189, 190 कुल किता 9 कुल रकबा 2.11 है, भुमि को विपक्षीगण रहन बय बक्षीस या अन्य किसी तरीके से किसी अन्य को हस्तान्तरित नही करे व हम प्रार्थीगण को हमारी कब्जे काश्त से जबरन ताकत के बल पर बेदखल कर बलात अधिपत्य नही करे व हमारे कब्जे काश्त मे नाजायज दखलंदाजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे हम प्रार्थीगण को हमारे हिस्से व कब्जे की भुमि पर शान्ति पुर्वक काश्त करने देवे रेकार्ड व मौके की यथा स्थिती बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.29 13:58:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा जवाब प्रस्तुत

किया जो शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 3 ने अपने जवाब के अंकन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। लालु पिता नाथु प्रजापत ने गंगाराम को गोद नही लिया था नही गोद कि कोई रस्म अदा कि गई तथा लालु की एक मात्र वारिस विपक्षीया संख्या एक मोहनी ही है। ग्राम रायपुर के बेरुन हल्का आबादी में साबिक आराजी संख्या 102, 104/2, 104/1 कुल कित्ता तीन कुल रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा भूमि हिन्दु संयुक्त परिवार की पैतृक एवं पुश्तेनी सम्पति नही है तथा उक्त सम्पति मुझ विपक्षी संख्या एक के पति लालु जी के तन्हा स्वामित्व या आधिपत्य की है। लालु जी की मृत्यु पश्चात् विरासत का नामान्तरण मुझ विपक्षी संख्या एक मोहनी बाई के नाम फैसल किया जाना स्वीकार है। उक्त वाद व प्रार्थना पत्र वर्णित आराजियात में गंगाराम का कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है तथा मृतक लालु की विरासत का नामान्तरण किया गया जो विधि व न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार ही किया गया है। मृतक लालु के विरासत का नामान्तरणकरण फैसल करते समय मृतक लालु के वारिसों की राजस्व कर्मचारियों एवं ग्राम पंचायत द्वारा सम्पुर्ण जांच की गई व ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामान्तरण फैसल किया गया। मृतक लालु या मुझ विपक्षी संख्या एक मोहनी ने गंगाराम को कभी गोद नही लिया है व उक्त भुमि पर दान से पूर्व में विपक्षी संख्या एक ही काश्त कर्ती चली आ रही हैं व दान के पश्चात् विपक्षीयां संख्या तीन संतोष देवी ही काश्त कर रही है व मृतक गंगाराम व उनके वारिसों को उक्त वर्णित भूमियों पर बतोर खातेदार काश्तकार उपयोग उपभोग नही करते आ रहे है। अतिरिक्त कथन के रूप में निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने लालू के निधन के बाद गंगाराम के गोद पुत्र होने के आधार पर प्रस्तुत किया है। जबकि मृतक लालू ने गंगाराग को कभी गोद नही लिया है व न ही मुझ विपक्षीयां संख्या एक मोहनी ने गोद लिया है। अगर गगराम दतक गया होता निश्चित तौर से अपने जीवन काल मे चाराजोही करता अब लालू के निधन के 30 वर्षों बाद प्रार्थीगण ने झुठा वाद पेश किया। मृतक लालु के निधन के बाद उनकी पत्नि मुझ विपक्षीया संख्या एक मोहनी के नाम विधिवत् नामान्तरण फैसल हुआ है एवं मुझ विपक्षीया संख्या एक मोहनी के नाम उक्त भूमि दर्ज चली आ रही है तथा में विपक्षीया संख्या एक मृतक लालु की विधिक वारिस है जिससे मुझ विपक्षीया संख्या एक के नाम उक्त वादवर्णित आराजियात का नामान्तरण फैसल हुआ है। जिससे उक्त सम्पति को विक्रय, रहन बय बक्षीस, रहन करने का मुझ विपक्षीया संख्या एक को पुरा अधिकार प्राप्त है। राजस्व न्यायालय को दत्तक कि घोषणा का अधिकार नही है जिससे वाद व प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही [illegible] योग्य है।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.29 13:58:07 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा मौखिक बहस जवाब में वर्णित तथ्याो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारीज करने का निवेदन किया गया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं प्रार्थी व विपक्षीगण अधिवक्ता की बहस पर अध्ययन किया तो पाया कि राजस्व रेकार्ड में मूल खातेदार

लालु पिता नाथु कुम्हार के नाम साबिक आराजियात दर्ज रेकार्ड थी और लालु के फोथ होने के बाद लालु की विरासत विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो से सम्बन्धित वास्तविकता मुल वाद में साक्ष्य एवं सबुत के आधार पर तय होना है। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.06.2017 को उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी जाकर विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा का अन्तरिम आदेश जारी किया गया था जिसकी पालना में रेकार्ड और मौके की यथास्थिति बनाई रखना है और पक्षकारान द्वारा इसकी पालना की जा रही है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में पूर्व जारी अन्तरिम आदेश दिनांक 12.06.2017 को कन्फर्म किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. 1955 स्वीकार किया जाकर इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मूलवाद के निस्तारण तक ग्राम रायपुर तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में स्थित नवीन आराजियात संख्या 172, 173, 174, 181, 182, 187, 188, 189, 190 कुल किता 9 कुल रकबा 2.11 है, भुमि को विपक्षीगण रहन बय बक्षीस या अन्य किसी तरीके से किसी अन्य को हस्तान्तरित नही करे व प्रार्थीगण को जबरन ताकत के बल पर बैदखल नही करे व कब्जे काश्त मे नाजायज दखलंदाजी न तो स्वंय करे न अन्य से करावे तथा रेकार्ड व मौके की यथा स्थिती बनाये रखे। पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न की जावें बाद दाखला पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.01.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.29 13:58:07 IST
Reason: SelfAttested